UPMP010006632026

न्यायालय District & Session Judge, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02022**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं. 288/2026

मीरा देवी उम्र करीब 50 वर्ष पत्नी रोहनसिंह निवासी ग्राम भटकुरी थाना मोहम्मदाबाद,जिला–फर्रूखाबाद।

---प्रार्थिनी/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

---विपक्षी/वादी

आदेश

1– प्रार्थिनी/अभियुक्ता मीरा देवी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. मुकदमा अपराध संख्या–778/2021 अन्तर्गत धारा–448,504,506,420 भा0 दं.सं0 थाना–कोतवाली जिला मैनपुरी में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि ''प्रार्थी नेत्रपाल पुत्र रामचन्द निवासी आसपुर जिला एटा हाल निवासी हरचंदपुर थाना कोतवाली जिला मैनपुरी का रहने वाला है। प्रार्थी की आराजी निजाई गाटा संख्या– 144 / 0243 192/ 0486.231/0458 हे0 श्याम लाल पुत्र नेकराम की थी। श्यामलाल की मृत्यु के बाद धोखा धड़ी व छल से दिनाक 20.7.11 को श्यामलाल की आराजी को उनकी बहन उन्हें अम्बर बेटी व महादेवी ने अपने नाम करा ली फिर श्यामलाल की पत्नी को पता चला तो उन्होने वाजिव नम्बर प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें दिनांक 9/9/2011 पूर्व आदेश निरस्त हो गया और आराजी निजाई पुनः श्यामलाल के नाम अंकित हो गई। इसी दौरान अम्बर बेटी व महादेवी से महेश चंद पुत्र लालाराम व कमलेश पुत्र गोकुल प्रसाद निवासीगण हरचंदपुर थाना कोतवाली जिल्ला मैनपुरी ने अपनी पत्नियों के नाम व रोशनलाल ने अपनी पत्नी मीरादेवी निवासी भटकुरी थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद ने बैनामा 8/8/2011 अपने पक्ष में जानकारी होते हुए धोखाधड़ी से करा लिया। श्यामलाल की आराजी की मालिक प्रार्थी व बैनामा दिनांक 8/8/2011 अपने पक्ष में जानकारी होते हुए करा लिया। श्यामलाल की आराजी की मालिक प्रार्थी व बैनामा 8/8/2011 अपने पक्ष में जानकारी होते हुए करा लिया। श्याम लाल की आराजी की मालिक प्रार्थी व उसकी पत्नी शारदा देवी मानी जायेगी जो कि श्याम लाल पत्री राजनश्री ने अपने मृत्यु से पहले दिनांक 11/5/2011 को प्रार्थी व शारदा देवी के नाम एक पंजीकृत वसीयत कर दी। उस वसीयत के आधार पर प्रार्थी ने न्यायालय तहसीलदार के यहाँ वाद संख्या 980/17 मुल्जिमानों के विरुद्ध दायर किया जिसमें आदेश दिनांक 2/11/18 व 12/1/21 को उक्त विवादित सम्पति प्रार्थी व शारदा देवी के नाम राजस्व अभिलेखों में आ गयी और तब प्रार्थी को उक्त लोगों ने

उक्त जमीन छोड़ने का प्रलोभन दिया। प्रार्थी ने कई बार कहा कि उक्त जमीन मेरे नाम है।उक्त प्रतिवादीगण मुझसे मुकदमे में झूठा फंसाने की धमकी देते हैं। जब मैं खेत पर अपनी पत्नी को लेकर गया तो महेश चंद, कमलेश शर्मा, रोशनलाल व संगीता शर्मा ने मेरे व मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज की तथा जबरन उसकी स्वामित्व की जमीन पर कब्जा किये हुए है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3– प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उसे उक्त मुकदमे में झूंठा फंसाया गया है। उसने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद भी नहीं है। प्रार्थिनी को विवेचक द्वारा वादी पक्ष से लाभ लेकर मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थिनी की नामजदगी दिखाते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लेकर प्रार्थिनी को तलब किया है और उसके विरूद्ध एन.बी.डब्ल्यू जारी है। प्रार्थी को जैसे ही एन.बी.डब्ल्यू जारी होने की सूचना मिली तब प्रार्थिनी ने यह प्रार्थना–पत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया है। महेशचन्द्र पुत्र लालाराम,कमलेश शर्मा पुत्र गोकुल प्रसाद निवासीगण हरचन्दपुर थाना कोतवाली व रोशनलाल पुत्र रामलाल निवासी भटकुरी थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रूखबाद के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित गाटा संख्या 144,192,231 का कोई भी धोखा धड़ी कर हेराफेरी कर अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं कराया है और न ही कोई अपने नाम बैनामा कराया है। उक्त गाटा के असल मालिक श्यामलाल निवासी ग्राम हरचन्दपुर से उनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त गाटा के मालिक उनकी पत्नी राजनश्री हुयी तथा राजनश्री की मृत्यु के बाद उपरोक्त गाटा के मालिक श्यामलाल की बहिन अम्वरवेटी व महादेवी हुयीं। क्योंकि श्यामलाल व राजनश्री लाबल्द फौत हुए थे,जिन्होनें उपरोक्त गाटा का राजस्व अभिलेखों में नाम होने के बाद नामान्तरण होने के बाद उक्त जमीन संगीता व मीरा देवी के नाम बैनामा किया। बाद में प्रार्थिनी द्वारा महेशचन्द्र की पत्नी हृदेश कुमारी के नाम बैनामा हुआ। इसप्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थिनी द्वारा कोई भी धोखा धड़ी नहीं की है। सही तथ्य यह है कि मुकदमा उपरोक्त के वादी द्वारा जालसाजी से उपरोक्त गाटाओं को हड़पने के लिए श्यामलाल की पत्नी राजनश्री के नाम के आगे परिवार रजिस्टर में उर्फियत रज्जोदेवी दर्ज कराकर किसी फर्जी महिला जो आसपुर जिला एटा की निवासी दर्शाकर उनके नाम की फर्जी वसीयत तैयार कर तहसीलदार मैनपुरी के न्यायालय में वाला नामान्तरण अपने नाम कराकर यह मुकदमा प्रार्थिनी के विरूद्ध कायम कराया। जबकि वादीगण की असल उक्त मुकदमे से सम्बन्धित असल विवाद अम्बरवेटी व महादेवी से है। वादी द्वारा उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज न कर यह झूंठा मुकदमा प्रार्थिनी के खिलाफ कराया है। उक्त विवादित गाटा के असल मालिक श्यामलाल थे जिनमें कोई औलाद नहीं थी इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम जो उपरोक्त गाटा व अन्य घर आदि थे उनकी सगी बहन अम्बरवेटी व महादेवी के नाम दर्ज हुये तथा दिनांक 06–09–2011 को अम्बरवेटी ने गाटा संख्या 144/0.283 है0 का बैनामा प्रार्थिनी मीरा देवी के नाम किया जो उसने हृदेश कुमारी को बेंच दिया। वादी मुकदमा द्वारा श्यामलाल जिनकी पत्नी जिनका नाम राजनश्री था, की मृत्यु के बार उनके भतीजे नेत्रपाल द्वारा ग्राम आसपुर जिला एटा में रहने वाली मंगलामुखी रज्जो को राजनश्री के नाम के आगे रज्जो उर्फियत लगाकर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराकर उनके नाम की फर्जी वसीयत तैयार कर उपरोक्त गाटा अपने नाम राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम करा ली और यह झूंठा मुकदमा प्रार्थिनी के खिलाफ दायर कर दिया तथा इस सम्बन्ध में न्यायालय सिविल जज अवर वर्ग में सिविल वाद संख्या 203/2021 नेत्रपाल आदि बनाम अम्बरवेटी विचाराधीन है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थिनी नामजद एफ.आई.आर नहीं है।

उसका नाम विवेचनाधिकारी द्वारा गलत बढ़ाया गया है। उक्त मुकदमा के सभी सह अभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा जमानत के दुरूपयोग की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता अग्रिम जमानत के सभी आदेशों व निर्देशों का पालन करेगी। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्ता नामित अभियुक्त नहीं है। दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। अभियोजन कथानक के अनुसार विवादित गाटा संख्याओं के संबंध में धोखाधड़ी व कूटरचना कर बैनामा कराये जाने का आरोप लगाया गया है। सह अभियुक्तगण महेशचन्द्र,कमलेश शर्मा,रोशनलाल एवम संगीता शर्मा की अग्रिम जमानत दिनांक 23–02–2022 को स्वीकृत हो चुकी है। प्रकरण प्रथम दृष्टया सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है। अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में गुण-दोष पर विचार किये बिना अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार **अभियुक्ता मीरा देवी** का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

यदि अभियुक्ता को उपरोक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया जाता है अथवा वह सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समर्पण करती है तब अभियुक्ता द्वारा मुव. पचास हजार रूपए का व्यक्तिगत बंध–पत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर रिहा किया जावे–

1– अभियुक्ता आदेश की तिथि से दस दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत व बन्ध–पत्र दाखिल करेंगें

2– अभियुक्ता प्रस्तुत प्रकरण के विचारण में सहयेाग करेगा।

दिनाँकः10–03–2026

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी।

अनिल कुमार अग्रवाल,
पी.ए

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.03.10 16:32:19 +0530